

**पत्र सूचना शाखा**  
**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०**

**राज्यपाल को जाँच रिपोर्ट सौंपी**

लखनऊ: 23 दिसम्बर, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री राम नाईक को आज न्यायमूर्ति वी०सी० गुप्ता (अवकाश प्राप्त) ने प्रो० मुन्ना सिंह (निलम्बित कुलपति) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के विरुद्ध की गयी जाँच की रिपोर्ट सौंप दी है। राज्यपाल/कुलाधिपति ने जाँच रिपोर्ट की एक प्रति प्रो० मुन्ना सिंह को भेजते हुए उनसे 6 जनवरी, 2016 तक जवाब मांगा है। प्रो० मुन्ना सिंह पर कुलाधिपति के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने जाँच के लिए न्यायमूर्ति वी०सी० गुप्ता की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जाँच समिति गठित की थी।

उल्लेखनीय है कि श्री नाईक ने 1 मई, 2015 को प्रो० मुन्ना सिंह को निलम्बित करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय से सम्बद्ध किया था जहाँ वे 27 मई, 2015 तक उपस्थित नहीं हुए थे। 28 मई, 2015 को प्रो० मुन्ना सिंह द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ योजित याचिका में पीठ ने कुलाधिपति के आदेशों के क्रियान्वयन को इस शर्त पर स्थगित कर दिया कि प्रो० मुन्ना सिंह को जाँच के दौरान अवकाश पर रखा जाय। लखनऊ पीठ के इस आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति कार्यालय ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। जिसके परिणामस्वरूप 21 अगस्त, 2015 को उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रो० मुन्ना सिंह को फिर से निलम्बित करने का आदेश पारित किया। निलम्बन के बाद प्रो० मुन्ना सिंह को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध किया गया लेकिन प्रो० मुन्ना सिंह वहाँ भी उपस्थित नहीं हुए। राज्यपाल/कुलाधिपति ने पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में उपस्थित होने के आदेशों की अवहेलना की जाँच के लिए उक्त समिति का गठन किया था जिसमें प्रो० मुन्ना सिंह को समिति द्वारा सुनवाई अवसर दिया गया था।

-----



